न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO), बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी :— श्री वीरमा राम आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :— 460 / 2024

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थी
1 वगताराम पुत्र चेतनराम 2 बाबुलाल 3 मोहनलाल 4 राणाराम 5 सालुराम पिसरान मेहराराम 6 सुन्दरदेवी पत्नी मेहराराम 7 आदुराम 8 खेराजराम 9 दुर्गाराम 10 नवलाराम 11 पीराराम पिसरान लादाराम जाति मेघवाल निवासी रामदेरिया तहसील व जिला बाड़मेर।		1 तहसीलदार बाड़मेर।

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 136 RLR Act.

उपस्थिति :—

1. श्री वीरमाराम चौधरी, वकील प्रार्थीगण पक्ष।

आदेश

दिनांक 26/05/2025

संक्षिप्त में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण का पैतृक खातेदारी के खेत मौजा रामदेरिया पटवार हल्का हाथीतला तहसील व जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 9 वर्तमान खसरा संख्या 409 / 9, 410 / 9 व 411 / 9 आए हुए है, जिसमे प्रार्थीगण के मध्य भूमि का विभाजन होने पर उक्त खसरा अंकित हुए है। प्रार्थीगण के खेतों के बीच की तरमीम हुई परन्तु लठ्ठा ट्रेस में की गई तरमीम मौके के अनुसार नही कर राजस्व अधिकारियों ने बिना जांच किये तथा पक्षकारान के कब्जा काश्त अनुसार न कर गलत तरमीम अंकित की दी गई प्रार्थीगण का मौके पर संलग्न परिशिष्ठ ''ब'' के अनुसार कब्जा काश्त है। प्रार्थीगण की भूमि मौजा रामदेरिया पटवार हल्का हाथीतला तहसील व जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 9 वर्तमान खसरा संख्या 409 / 9, 410 / 9 व 411 / 9 भूमि की तरमीम गलत कर दी गई, जिसे प्रार्थीगण परिशिष्ठ ''ब'' के अनुसार तरमीम दुरूस्त करवाने के अधिकारी है। लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण की खातेदारी का खेत मौजा रामदेरिया पटवार हल्का हाथीतला तहसील व जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 9 वर्तमान खसरा संख्या 409 / 9, 410 / 9 व 411 / 9 की तरमीम परिशिष्ठ ''ब'' में बरंग लाल मौके पर कब्जा काश्त अनुसार दुरूस्त करवाने के आदेश फरमावे।

आवेदन दर्ज रजिस्टर कर तहसीलदार बाडमेर से मौका रिपोर्ट तलब की गई।

तहसीलदार बाडमेर ने अपने पत्रांक भू.अ. / 2025 / 1228 राजकाज रेफरेन्स संख्या 15251093 दिनांक 15.05.2025 को रिपोर्ट इस आशय की उपलब्ध करवाई कि मौजा रामदेरिया पटवार हल्का हाथीतला तहसील व जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 9 वर्तमान खसरा संख्या 409 / 9 रकबा 2.5333 हैक्टेयर [illegible] लाल मोहनलाल राणाराम सालूराम पिसरान मेहरा सुन्दर देवी पत्नी मेहरा [illegible] खातेदार खसरा संख्या 410 / 9 रकबा 6.8958 हैक्टेयर भूमि आदूराम खेराजराम [illegible] नवलाराम पीराराम पिसरान लादा जाति मेघवाल सा. देह खातेदार तथा खसरा संख्या [illegible]11 / 9 वगताराम पुत्र [illegible] जाति मेघवाल सा. देह खातेदार के नाम दर्ज है। लठ्ठा ट्रेस में वर्तमान तरमीम की स्थिति परिशिष्ठ 'अ' के अनुसार है। जानकारी नही होने की वजह से आपसी सहमति के बंटवाड़े के वक्त तरमीम गलत दर्ज हो गई। रेकर्ड में अंकित तरमीम तथा मौके पर कब्जा काश्त में भारी भिन्नता उत्पन्न हो गई है, जिससे परस्पर खातेदारों की रहवासी ढाणीयां, टांके कब्जा काश्त की माठे बुरी तरह से प्रभावित हो रही है। मौके पर उपस्थित पक्षकारों व मौतबिरान ने

Signature Not Verified
Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2025.06.05 15:39:14 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी

बताया कि सभी पक्षकार आपसी सहमति से मौके की कब्जा काश्त के अनुसार तरमीम दुरूस्ती करवाना चाहते है। अतः सहमति के आधार पर मौके पर कब्जा काश्त, रहवासी ढाणीयां टांकों व रास्ते की सुविधा के अनुसार नक्शा परिशिष्ठ 'ब' तैयार किया गया जिसके अनुसार आरएलआर एक्ट की धारा 136 के अन्तर्गत तरमीम दुरूस्त की जाना उचित है। प्रस्तावित नक्शा परिशिष्ठ 'ब' के मुताबित तरमीम दुरूस्त करने पर किसी भी खसरे का रकबा प्रभावित नही हो रहा है।

, वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। तहसीलदार बाडमेर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट पर दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वकील प्रार्थीगण द्वारा तहसीलदार बाडमेर की मौका रिपोर्ट के अनुसार मौजा रामदेरिया पटवार हल्का हाथीतला तहसील व जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 9 वर्तमान खसरा संख्या 409/9, 410/9 व 411/9 की लठ्ठा ट्रेस में अशुद्ध तरमीम को निरस्त करते हुए मौका रिपोर्ट के संलग्न परिशिष्ठ "ब" के अनुसार तरमीम दुरूस्त करने पर अपनी सहमति प्रकट की। तहसीलदार बाडमेर द्वारा राजस्व रिकॉर्ड में परिशिष्ठ "ब" के अनुसार तरमीम दुरूस्त करने की अभिशंषा की है। "राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की धारा 131 व 136 के तहत मानचित्र जो राजस्व अधिकारियों द्वारा संधारित की जाती है, जिसमे खेत की सीमाओं के सब परिवर्तनों व गलतियों को जो ऐसे मानचित्र या फिल्ड बुक मे की गई है या बतलाई गई है जिसे शुद्ध किया जा सकेगा तथा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की धारा 131 व 136 के अन्तर्गत केवल लिपिकीय त्रुटियां अथवा कुछ स्वीकार गलतियां जो राजस्व अभिलेखों में आ गई हो को संशोधित किया जा सकता है।" जो तहसीलदार बाडमेर की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि मौजा रामदेरिया पटवार हल्का हाथीतला तहसील व जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 9 वर्तमान खसरा संख्या 409/9, 410/9 व 411/9 की लठ्ठा ट्रेस में तरमीम खातेदारों को जानकारी नही होने की वजह से आपसी सहमति के बंटवाड़े के वक्त तरमीम गलत दर्ज हो गई। रेकर्ड में अंकित तरमीम तथा मौके पर कब्जा काश्त में भारी भिन्नता उत्पन्न हो गई है, जिससे परस्पर खातेदारों की रहवासी ढाणीयां, टांके कब्जा काश्त की माठे बुरी तरह से प्रभावित हो रही है। मौके पर उपस्थित पक्षकारों व मौतबिरान ने बताया कि सभी पक्षकार आपसी सहमति से मौके की कब्जा काश्त के अनुसार तरमीम दुरूस्ती करवाना चाहते है। प्रकट तथ्यों के मद्देनजर मौजा रामदेरिया पटवार हल्का हाथीतला तहसील व जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 9 वर्तमान खसरा संख्या 409/9, 410/9 व 411/9 भूमि की वर्तमान लठ्ठा ट्रेस तरमीम को निरस्त करते हुए मौके पर कब्जा काश्त अनुसार तहसीलदार बाडमेर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के संलग्न परिशिष्ठ "ब" के अनुसार दुरूस्त (शुद्धिकरण) किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र तहसीदार बाडमेर की मौका रिपोर्ट अनुसार प्रस्तावित तरमीम परिशिष्ट "ब" को वकील प्रार्थीगण की सहमति पर स्वीकार किया जाकर मौजा रामदेरिया पटवार हल्का हाथीतला तहसील व जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 9 वर्तमान खसरा संख्या 409/9, 410/9 व 411/9 भूमि की वर्तमान लठ्ठा ट्रेस में अशुद्ध तरमीम को निरस्त करते हुए तहसीलदार बाडमेर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के संलग्न परिशिष्ठ "ब" के अनुसार तरमीम दुरूस्त कर राजस्व रिकार्ड में तरमीम दुरूस्त (शुद्धिकरण) किया जाता है। तहसीलदार बाडमेर तदनुसार समस्त राजस्व अभिलेख शुद्ध करें। तहसीलदार बाडमेर द्वारा प्रस्तुत नक्शा परिशिष्ठ "ब" आदेश का अभिन्न अंग रहेगा। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2025.06.05 15:39:14 IST
Reason: SelfAttested

(वीरमा राम)
उपखण्ड अधिकारी
(SDO), बाड़मेर

आदेश आज दिनांक 26/05/2025 को सरें ईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
(SDO), बाड़मेर